[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 31st May, 2013

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. .— In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 2013.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 30,–

(a) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2), any sum deducted under section 194-IA shall be paid to the credit of the Central Government within a period of seven days from the end of the month in which the deduction is made and shall be accompanied by a challan-cum-statement in Form No.26QB.";

(b) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6A) Where tax deducted is to be deposited accompanied by a challan-cum-statement in Form No.26QB, the amount of tax so deducted shall be deposited to the credit of the Central Government by remitting it electronically within the time specified in sub-rule (2A) into the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank.";

(c) after sub-rule (7), the following sub-rules shall be inserted, namely:–

"(7A) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedure, formats and standards for the purposes of remitting the amount electronically to the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any authorised bank and shall be responsible for the day-to-day administration in relation to the remitting of the amount electronically in the manner so specified.";

3. In rule 31 of the said rules,–

(a) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3), every person responsible for deduction of tax under section 194-IA shall furnish the certificate of deduction of tax at source in Form No.16B to the payee within fifteen days from the due date for furnishing the challan-cum-statement in Form No.26QB under rule 31A after generating and downloading the same from the web portal specified by the Director General of Income-tax (System) or the person authorised by him.";

(b) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6A) The Director General of Income-tax (Systems) shall specify the procedure, formats and standards for the purposes of generation and download of certificates and shall be responsible for the day-to-day administration in relation to the generation and download of certificates from the web portal specified by him or the person authorised by him.";

4. In rule 31A of the said rules, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(4A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2) or sub-rule (3) or sub- rule (4), every person responsible for deduction of tax under section 194-IA shall furnish to the Director General of Income-tax (System) or the person authorised by the Director General of Income-tax (System) a challan-cum-statement in Form No.26QB electronically in accordance with the procedures, formats and standards specified under sub-rule (5) within seven days from the end of the month in which the deduction is made.";

5. In Appendix-II of the said rules,—

(a) after Form No.16AA, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM NO.16B

[See rule 31(3A)]

Certificate under section 203 of the Income-tax Act, 1961 for tax deducted at source

Certificate No.	Last updated on
Name and address of the Deductor (Transferee/Payer/Buyer)	Name and address of the Deductee (Transferor/Payee/Seller)

PAN of the Deductor	PAN of the Deductee	Financial Year of deduction

Summary of Transaction (s)

S. No.	Unique Acknowledgement Number	Amount Paid/Credited	Date of payment/credit (dd/mm/yyyy)	Amount of tax deducted and deposited in respect of the deductee
Total (Rs.)				-

DETAILS OF TAX DEPOSITED TO THE CREDIT OF THE CENTRAL GOVERNMENT FOR WHICH CREDIT IS TO BE GIVEN TO THE DEDUCTEE

S. No.	Amount of tax deposited in respect of deductee (Rs.)	Challan Identification number (CIN)		
		BSR Code of the Bank Branch	Date on which tax deposited (dd/mm/yyyy)	Challan Serial Number
1.				
2.				
Total (Rs.)				

Verification

I,................, son/daughter of .... in the capacity of .... (designation) do hereby certify that a sum of (Rs.) .... [Rs. ....(in words)] has been deducted and deposited to the credit of the Central Government. I further certify that the information given above is true, complete and correct and is based on the books of account, documents, challan-cum-statement of deduction of tax, TDS deposited and other available records.

Place		(Signature of person responsible for deduction of tax)
Date		Full Name:";

(b) for Form No.24Q, the following Form shall be substituted, namely :—

"Form No. 24Q
[See section 192 and rule 31A]

Quarterly Statement of deduction of tax under sub-section (3) of section 200 of the Income-tax Act in respect of salary for the quarter ended..............................(June/September/December/March)................ (Financial Year)

1.	(a)	Tax Deduction and Collection Account Number(TAN)		(d)	Has the statement been filed earier for this quarter (Yes/No)
	(b)	Permanent Account Number(PAN) [See Note 1]		(e)	If answer to (d) is "Yes", then Token No. of original statement
	(c)	Financial Year		(f)	Type of Deductor[See Note 2]

2. Particulars of the Deductor (employer)

(a) Name of the employer

(b) If Central/State Government

Name (See Note 3)

AIN Code of PAO/TO/CDDO

(c) TAN Registration No.

(d) Address

Flat No.
Name of the premises/building
Road/Street/Lane
Area/Location
Town/City/District
State
PIN Code
Telephone No.
Alternate telephone No. (See Note 4)
Email
Alternate email (See Note 4)

3. Particulars of the person responsible for deduction of tax:

(a) Name

(b) Address

Flat No.
Name of the premises/building
Road/Street/Lane
Area/Location
Town/City/District
State
PIN Code
Telephone No.
Alternate telephone No. (See Note 4)
Email
Alternate email (See Note 4)
Mobile No.

4. Details of tax deducted and paid to the credit of the Central Government:

Sl. No.	Tax	Surcharge	Education Cess	Interest	Fee (See Note 5)	Penalty / Others	Total amount deposited as per challan/ Book Adjustment (302+303+304+305+306+307) (See Note 6)	Mode of TDS deposit through Challan (C) /Book Adjustment (B) (See Note 7)	BSR code/ Receipt Number of Form No. 24G (See Note 8)	Challan Serial No./DDO Serial no. of Form 24G (See Note 8)	Date on which amount deposited through challan/ Date of transfer voucher (See Note 8)	Minor Head of Challan (See Note 9)
[301]	[302]	[303]	[304]	[305]	[306]	[307]	[308]	[309]	[310]	[311]	(312)	[313]
1												
2												
3												

5. Details of salary paid and tax deducted thereon from the employees -
(i) enclose Annexure I along with each statement having details of the relevant quarter;
(ii) enclose Annexure II along with the last statement, i.e., for the quarter ending 31st March having details for the whole financial year.

Verification

I, ..., hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: ....
Date: ....

Signature of the person responsible for deducting tax at source
Name and designation of the person resposible for deducting tax at source

Notes:

1. It is mandatory for non-Government deductors to quote PAN. In case of Government deductors,"PANNOTREQD" should be mentioned.
2. Please indicate Government deductor or non-Government deductor.
3. In case of Central Government, please mention name of Ministry/Department. In case of State Government, please mention name of the State.
4. In alternate telephone number and alternate email, please furnish the telephone number and email of a person who can be contacted in the absence of deductor or person responsible for deduction of tax.
5. Fee paid under section 234 E for late filling of TDS statement to be mentioned in separate column of 'Fee' (column 306)
6. In column 308, Government DDOs to mention the amount of TDS remitted by the PAO/CDDO/DTO. Other deductors to write the exact amount of TDS deposited through challan.
7. In column 309, Government deductors to write "B" where TDS is remitted to the credit of Central Government through book adjustment. Other deductors to write "C".
8. Challan / Transfer Voucher (CIN / BIN) particulars , i.e. 310, 311,312 should be exactly the same as available at Tax Information Network.
9. In column 313, mention minor head as marked on the challan.

ANNEXURE-I -: DEDUCTEE WISE BREAK UP OF TDS
(Please use separate Annexure for each line - item in the table at Sl. No. 04 of main Form 24Q)
Details of salary paid and tax deducted therefrom from the employees

BSR Code of branch/ Receipt Number of Form No.24G		
Date on which challan deposited/Transfer voucher date (dd/mm/yyyy)		
Challan Serial Number / DDO Serial No. of Form No.24G		
Amount as per Challan		
Total TDS to be allocated among deductees as in the vertical total of col. 326		
Total Interest to be allocated among deductees below		

Name of the Employer	
TAN	

Sl. No.	Employee reference number provided by employer, if available	PAN of the employee	Name of the employee	Section Code [See Note 4]	Date of payment/ credit(dd/mm/yyyy)	Date of deduction(dd/mm/yyyy)	Amount Paid or Credited	Tax	Surcharge	Education Cess	Total TDS (Total of column 322,323 and 324)	Total TDS deposited Rs.	Date of deposit (dd/mm/yyyy)	Reason for non-deduction/ lower deduction /higher deduction [See Notes 1, 2 and 3]	Number of the certifiate u/s 197 issued by the Assessing Officer for non-deduction/ lower deduction
[314]	[315]	[316]	[317]	[318]	[319]	[320]	[321]	[322]	[323]	[324]	[325]	[326]	[327]	[328]	[329]
1															
2															
3															
Total															

Verification

I, ..., hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place: .... Signature of the person responsible for deducting tax at source ....

Date: .... Name and designation of the person responsible for deducting tax at source ....

Notes:

1. Write "A" if certficate has been given by the Assessing Officer for deduction of tax at lower rate under section 197. PAN of employee is mandatory in such cases.
2. Write "B" if certficate has been given by the Assessing Officer for no deduction of tax under section 197. PAN of employee is mandatory in such cases.
3. Write "C" if deduction is on higher rate on account of non-furnishing of PAN by the deductee.
4. List of section codes is as under:

Section	Nature of Payment	Section Code
192	Payment to Government employees other than Union Government employees	92A
192	Payment to employees other than Government employees	92B
192	Payment to Union Government employees	92C

ANNEXURE II

Details of salary paid/credited during the financial year...............................and net tax payable

Serial Number	Permanent Account Number of the employee	Name of the employee	Write "S" for resident individual who is in the age bracket of 60-80 years, "O" for resident individual whose age is 80 years or more and "G" for others	Date from amd date up to employed with current employer in the current financial year(dd/mm/yyyy)	Taxable Amount on which tax is deducted by the current employer.	Reported taxable amount on which tax is deducted by previous employer(s)	Total amount of salary (See Note 1) (Total of columns 335 and 336)	Total deduction under section 16(ii)	Total deduction under section 16(iii)	Income chargeable under the head "Salaries" (Column 337 *minus* (338 plus 339)	Income (Including admissible loss from house property) under any head other than the head "Salaries" offered for TDS [section 192 (2B)]	Gross total income (Total of columns 340 and 341)	Aggregate amount of deductions admissible under sections 80C, 80CCC and 80CCD (Total to be limited to amount specified under section 80CCE)	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A	Total amount deductible under Chapter VI-A (Total of columns 343 and 344)	Total taxable income (Column 342 *minus* 345)	Income tax on total income	Surcharge	Education cess	Income-tax relief under section 89, when salary, etc. is paid in arrear or advance	Net tax payable (Total of columns 347, 348 and 349 minus column 350)	Total Amount of tax deducted at source by the current employer for the whole year [aggregate of the amount in columns 325 of Annexure I for all the four quarters in respect of each employee]	Reported amount of tax deducted at source by previous employer(s)/deductor(s) (income in respect of which included in computing total taxable income in column 346)	Total amount of tax deducted at source for the whole year (Total of columns 352 and 353)	Shortfall in tax deduction (+)/Excess tax deduction (-) [Column 351 *minus* 354]	Whether tax deducted at higher rate due to non furnishing of PAN by deductee (Yes/No)
[330]	[331]	[332]	[333]	[334]	[335]	[336]	[337]	[338]	[339]	[340]	[341]	[342]	[343]	[344]	[345]	[346]	[347]	[348]	[349]	[350]	[351]	[352]	[353]	[354]	[355]	[356]

Place: ....

Date: ....

....

Name and signature of the employer/ person responsible for paying salary

Designation ....

Notes :

1. Salary includes wages, annuity, pension, gratuity [other than exempted under section 10 (10)], fees, commission, bonus, repayment of amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974, perquisites, profits in lieu of or in addition to any salary or wages including payments made at or in connection with termination of employment, advance of salary, any payment received in respect of any period of leave not availed [other than exempted under section 10 (10AA)], any annual accretion to the balance of the account in a recognised provident fund chargeable to tax in accordance with rule 6 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any sums deemed to be income received by the employee in accordance with sub-rule (4) of rule 11 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any contribution made by the Central Government to the account of the employee under a pension scheme referred to in section 80CCD or any other sums chargeable to income-tax under the head 'Salaries'.

2. Where an employer deducts from the emoluments paid to an employee or pays on his behalf any contributions of that employee to any approved superannuation fund, all such deductions or payments should be included in the statement. ";

(c) after Form No.26QAA, the following Form shall be inserted, namely:—

"Form No.26QB

[*See* section 194-IA, rule 30 and rule 31A]

Challan –cum – statement of deduction of tax under section 194-IA

Financial Year	-	Major Head Code*		Minor Head Code*	
Permanent Account Number (PAN) of Transferee/ Payer/ Buyer					
Category of PAN*			Status of PAN*		
Full Name of Transferee/ Payer/ Buyer*					
Complete Address of Transferee/Payer/Buyer					
				PIN	
Mobile No.		Email ID			
Whether more than one transferee/payer/buyer (Yes/No)					
Permanent Account Number (PAN) of Transferor/ Payee/ Seller					
Category of PAN*			Status of PAN*		
Full Name of Transferor/ Payee/ Seller					
Complete Address of Transferor/Payee/Seller					
				PIN	
Mobile No.		Email ID			
Whether more than one transferor/payee/seller (Yes/No)					
Complete Address of Property transferred					
				PIN	
Date of Agreement /Booking**		Total Value of Consideration (Amount in Rs.)		Payment in installment or lump-sum	

Amount Paid/Credited (in Rs.)	Date of payment/credit**	Rate at which deducted	Amount of tax deducted at source	Date of Deduction**

Date of Deposit**		Mode of payment	☐ Simultaneous e-tax payment ☐ e-tax payment on subsequent date

Details of Payment of Tax Deducted at Source (Amount in Rs.)	
TDS (Income Tax)(Credit of tax to the deductee shall be given for this amount)	
Interest	
Fee	
Total payment	

Total Payment in Words (in Rs.)

Crores	Lakhs	Thousands	Hundreds	Tens	Units

Unique Acknowledgement no. (generated by TIN)	

* To be updated automatically

** In dd/mm/yyyy format.".

[Notification No. 39 /2013, F.No.133/23/2013-SO(TPL)(Pt.)]

(RAJESH KUMAR BHOOT)
DIRECTOR(TPL-III)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number S.O. 1393(E), dated the 30th May, 2013.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, तारीख 31 मई, 2013

अधिसूचना

आय-कर

का0आ0...-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर(पांचवां संशोधन) नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 30 में,-

(क) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2क) उपनियम (1)या उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 194झक के अधीन कटौती की गई कोई राशि उस मास, जिसमें कटौती की जाती है, के अंत से सात दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के जमा खाते में संदत्त की जाएगी और वह प्ररूप संख्या 26थख में किसी चालान-सह-विवरण के साथ होगी ।";

(ख) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(6क) जहां प्ररूप संख्या 26थख में चालान-सह-विवरण के साथ कटौती किया गया कर निक्षेपित किया जाना है वहां इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या कोई अन्य प्राधिकृत बैंक में उपनियम (2क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर इलेक्ट्रानिक रूप से इसके प्रेषण द्वारा केंद्रीय सरकार के जमा खाते में निक्षेपित किया जाएगा ।";

(ग) उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(7क) महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी प्राधिकृत बैंक को इलेक्ट्रानिक रूप से रकम के प्रेषण के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, रूप विधानों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति में इलेक्ट्रानिक रूप से रकम के प्रेषण के संबंध में दिन प्रति-दिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।";

3. उक्त नियमों के नियम 31 में,-

(क) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(3क) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 194झक के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, महानिदेशक, आय-कर (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से उसे सृजित करने और डाउनलोड करने के पश्चात् नियम 31क के अधीन प्ररूप संख्या 26थख में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करने के लिए सम्यक् तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदायकर्ता को प्ररूप संख्या 16ख में स्रोत पर कटौती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।";

(ख) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(6क) महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) प्रमाणपत्रों के सृजन और डाउनलोड के प्रयोजनों के लिए प्रक्रिया, रुप विधानों और मानकों को विनिर्दिष्ट करेगा और वह उसके या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट वेब पोर्टल से प्रमाणपत्रों के सृजन और डाउनलोड के संबंध में दिन प्रति-दिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा ।";

4. उक्त नियमों के नियम 31क में उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(4क) उपनियम (1) या उपनियम (2) या उपनियम (3) या उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 194झक के अधीन कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उस मास, जिसमें कटौती की जाती है, के अंत से सात दिनों के भीतर उपनियम (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप से प्ररूप संख्या 26थख में चालान-सह-विवरण प्रस्तुत करेगा ।";

5. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में,-

(क) प्ररूप संख्या 16कक के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप संख्या 16ख

[नियम 31(3क) देखें]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं0	तारीख... को अंतिम बार अद्यतन किया गया
कटौतीकर्ता का नाम और पता (अंतरिती/संदायकर्ता/क्रेता)	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता (अंतरिती/पाने वाला/विक्रेता)

कटौतीकर्ता का पैन	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का पैन	कटौती का वित्तीय वर्ष

संव्यवहार (रों) का सार

क्र.सं.	विशिष्ट अभिस्वीकृति संख्या	संदत्त/जमा की गई रकम	संदाय/ जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	कटौती किए गए कर की रकम और कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया

कटौती किए गए और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा, जिसके लिए कटौती किए गए व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाना है

क्र.सं.	कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किए गए कर की रकम (रु0)	चालान पहचान संख्यांक (सीआईएन)		
		बैंक शाखा का बीएसआर कोड	वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिन/मास/वर्ष)	चालान क्रम संख्यांक
1.				
2.				
कुल(रु0)				

सत्यापन

मैं........................पुत्र/पुत्री.................................जो ....(पदनाम) की हैसियत में हूं, यह प्रमाणित करता/करती हूं कि.........................(रु0) [...........रु0 (शब्दों में)] की राशि कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में जमा की गई है । मैं यह और प्रमाणित करता/करती हूं कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा-पुस्तकों, दस्तावेजों, कर की कटौती का चालान-सह-कथन, जमा किए गए टीडीएस और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सत्य, पूर्ण और सही है ।

स्थान	(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का हस्ताक्षर)
तारीख	पूरा नाम

(ख) प्ररूप सं0 24थ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं0 24थ

(धारा 192 और नियम 31क देखिए)

आयकर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन (जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च)................(वित्तीय वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही के वेतन की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण

1.(क)	कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक (टैन)										
(ख)	स्थायी लेखा सं0 (टैन) [टिप्पण 1 देखिए]										
(ग)	वित्तीय वर्ष										

(घ)	क्या इस तिमाही के लिए पहले कोई विवरणी फाईल की गई है (हां/नहीं)	
(ङ)	यदि (घ) का उत्तर "हां" है तो मूल विवरणी का अंतरिम रसीद सं0	
(च)	कटौतीकर्ता के प्रकार (टिप्पण 2 देखिए)	

2. कटौतीकर्ता (नियोजक) की विशिष्टयां

(क) नियोजक का नाम

....

(ख) यदि केन्द्र/राज्य सरकार

नाम (टिप्पण 3 देखिए) ....

पीएओ/टीओ/सीडीडीओ का एआईएनकोड

(ग) टैन रजिस्ट्रीकृत सं0 ....

(घ) पता

फ्लैट सं0	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/गली	
क्षेत्र/अवस्थान	
नगर/शहर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन सं0	
अनुकल्पी टेलीफोन सं0 (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	

3. कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की विशिष्टियां :

(क) नाम

(ख) पता

फ्लैट सं0	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/गली	
क्षेत्र/अवस्थान	
नगर/शहर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन न0	
टेलीफोन न0	
अनुकल्पी टेलीफोन न0 (टिप्पण सं0 4 देखिए)	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	
मोबाईल न0	

4. कर कटौती और केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा के ब्यौरे :

क्रम सं0	कर	अधिभार	शिक्षा उपकर	ब्याज	फीस (टिप्पण 5 देखिए)	शास्ति/ अन्य	चालान/समायोजन बही के अनुसार जमा कुल राशि (302+303+304+305+306 +307) (टिप्पण 6 देखिए)	चालान (सी/समायोजन बही (बी) के माध्यम से जमा टीडीएस करने की रीति (टिप्पण 7 देखिए)	बीएसआर कोड/प्ररूप सं0 24छ की प्राप्ति संख्यांक (टिप्पण 8 देखिए)	प्ररूप सं024छ की डीडीओ क्रम सं0/चालान क्रम सं0 (टिप्पण 8 देखिए)	वह तारीख जब चालान के माध्यम से राशि जमा की गई/वाउचर अंतरण की तारीख (टिप्पण 8 देखिए)	चालान का लघु शीर्ष (टिप्पण 9 देखिए)
(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)
1												
2												
3												

5. संदत्त वेतन के ब्यौरे और कर्मचारियों से उस पर काटा गया कर

(i) सुसंगत तिमाही के ब्यौरे वाले प्रत्येक तिमाही विवरण के साथ उपाबंध 1 में संलग्न करें ।

(ii) अंतिम विवरण के साथ उपाबंध 2 संलग्न करें अर्थात् संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए ब्यौरा रखने वाली 31 मार्च को समाप्त तिमाही हेतु ।

सत्यापन

मैं, ..., सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण है ।

स्थान : ....

तारीख : ....

स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

व्यक्ति का नाम और पदनाम

टिप्पण :

1. गैर सरकारी कटौतीकर्ता के लिए पैन का उद्धरण करना आज्ञापक है । सरकारी कटौतीकर्ता की दशा में "पीएएनएनओटीआरईक्यूडी" का उल्लेख होना चाहिए ।
2. कृपया सरकारी कटौतीकर्ता या गैर सरकारी कटौतीकर्ता उपदर्शित करें ।
3. केन्द्रीय सरकार की दशा में कृपया विभाग/मंत्रालय के नाम का उल्लेख करे ।राज्य सरकार की दशा में, कृपया राज्य के नाम का उल्लेख करें ।
4. अनुकल्पी टेलीफोन नं0 और अनुकल्पी ई-मेल में, कृपया उस व्यक्ति का टेलीफोन नं0 और ई-मेल दे जिसको कर कटौतीकर्ता की अनुपस्थिति में या कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से संपर्क किया जा सके ।
5. टीडीएस विवरण को विलंब से फाइल करने के लिए धारा 234ड़ के अधीन संदत्त फीस को "फीस" स्तंभ में अलग से उल्लेख किया जाए । (स्तंभ 306)
6. स्तंभ 308 में, सरकारी डीडीओ पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा विप्रेषित राशि का उल्लेख करने के लिए । अन्य कटौतीकर्ता चालान के चालान के माध्यम से जमा यथावत राशि लिखें ।
7. स्तंभ 309 में सरकारी कटौतीकर्ता जहां टीडीएस समाजोयजन बही के माध्यम से केन्द्रीय सरकार की जमा खाते के लिए विप्रेषित हो गया है "ख" लिखे, अन्य कटौतीकर्ता "ग" लिखे ।
8. चालान/अंतरण वाउचर (सी.आई.एन./बी.आई.एन.) विशिष्टयां अर्थात् 310,311, 312 यथावत वैसी ही होनी चाहिए जैसी कर सूचना नेटवर्क पर उपलब्ध है ।
9. स्तंभ 313 में, लघुशीर्ष, जैसे चालान पर चिन्हांकित है, का उल्लेख करे ।

उपाबंध-1 स्रोत पर कर कटौती का कटौती करने वाले व्यक्ति वार पृथक ब्यौरा
(कृपया मुख्य प्ररूप 24थ के क्रम सं0 4 की प्रत्येक सारणी में प्रत्येक पंक्ति- मद के लिए पृथक उपाबंध का प्रयोग करें ।)
कर्मचारियों से संदत्त वेतन और उस पर की गई कर कटौती के ब्यौरे-

शाखा का बीएसआर कोड/प्ररूप सं0 24छ की प्राप्ति सं0	
तारीख जिसको चालान जमा किया गया है/अंतरण वाउचर तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
चालान क्रम संख्यांक/प्ररूप 24छ का डीडीओ क्रम संख्यांक	
चालान के अनुसार रकम	
ऊर्ध्वगामी, रूप में स्तंभ 326 में दिए गए व्यक्तियों के बीच जिनकी कटौती की गई, आबंटनीय स्रोत पर कुल कटौती	
नीचे कटौती किए गए व्यक्तियों के बीच आबंटित किया जाने वाला कुल ब्याज	

नियोजक का नाम	
टैन	

क्रम सं0	नियोजक द्वारा प्रदान किया गया कर्मचारी संदर्भ सं0 (यदि उपलब्ध है)	कर्मचारी का स्थायी लेखा सं0	कर्मचारी का नाम	धारा कोड (टिप्पण 4 देखिए)	संदाय/जमा की तारीख (दिन/मास/ वर्ष)	कटौती की तारीख (दिन/मास /वर्ष)	संदत्त या जमा रकम	कर	अधिभार	शिक्षा उपकर	स्रोत पर कर की कुल कटौती (स्तंभ 322, 323 और 324 का योग)	कुल जमा किया गया कुल टीडीएस	जमा की तारीख (दिन/मास /वर्ष)	कटौती न करने/निम्नतर कटौती/उच्चतर कटौती के कारण (टिप्पण 1,2 और 3 देखिए)	निर्धारण अधिकारी द्वारा कटौती न करने/ निम्नतर कटौती के लिए धारा 197 के अधीन जारी प्रमाणपत्र की संख्या
(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)
1															
2															
3															
कुल															

सत्यापन

मैं..सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही और पूर्ण है ।

स्थान : स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर ....

तारीख : स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के नाम और पदनाम..

टिप्पण :

1. यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 197 के अधीन निम्नतर दर से कर की कटौती के लिए प्रमाणपत्र दिया गया है तो "क" लिखे । ऐसे मामलों में कर्मचारी का स्थायी लेखा संख्या आज्ञापक है ।
2. यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 197 के अधीन कर की कटौती न करने के लिए प्रमाणपत्र दिया गया है तो "ख" लिखे । ऐसे मामलों में कर्मचारी का स्थायी लेखा सं0 आज्ञापक है ।
3. यदि कटौती किए गए व्यक्ति द्वारा स्थायी लेखा संख्या न दिए जाने के कारण कटौती उच्च दर पर है तो "ग" लिखे ।
4. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है :

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
192	संघ सरकार के कर्मचारियों से भिन्न सरकारी कर्मचारियों को संदाय	92क
192	सरकारी कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारयों को संदाय	92ख
192	संघ सरकार के कर्मचारियों को संदाय	92ग

उपाबंध 2

वित्तीय वर्ष.........के दौरान संदत्त/जमा वेतन और संदेय शुद्ध कर के ब्यौरे

क्रम सं0	कर्मचारी का स्थायी खाता संख्या	कर्मचारी का नाम	वे निवासी व्यक्ति जो 60-80 आयु के वर्ग में है के लिए "पूव" लिखें, वे निवासी व्यक्ति जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे ज्यादा है के लिए " ओ" लिखें और अन्य के लिए " जी" लिखें	चालू वित्त वर्ष में वर्तमान नियोजक के साथ नियोजित ...... तारीख से .... तारीख तक नियोजित (दिन/मास/वर्ष)	कर योग्य रकम जिस पर चालू नियोजक द्वारा कर की कटौती की गई	रिपोर्ट की गई कुल कर योग्य रकम जिस पर पूर्व नियोजक/नियोजकों द्वारा कर की कटौती की गई है	वेतन की कुल रकम (टिप्पण 1 देखिए) (335 + 336)	धारा 16(ii) के अधीन कुल कटौती	धारा 16(iii) के अधीन कुल कटौती	" वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभारित आय (स्तंभ 337 -(338 + 339)	स्रोत पर कटौत के लिए दी गई " वेतन" शीर्ष से भिन्न किसी शीर्ष के अधीन आय (जिसमें गृह संपत्ति से हुई हानि सम्मिलित है (धारा 192(2ख)	सकल कुल आय (स्तंभ 340 और 341 का कुल जोड़)	धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन ग्राही कटौती की रकम का योग (धारा 80गगड) में विनिर्दिष्ट सीमा रकम का कुल जोड़)	अध्याय 6(क) के अन्य उपबंधों/उपबंधों के अधीन कटौती योग्य रकम	अध्याय 6क के अधीन कटौती योग्य कुल रकम (स्तंभ 343 और 344 का कुल जोड़)	कर योग्य कुल आय (स्तंभ 342 से स्तंभ 345 घटाएं)	कुल आय पर आयकर	अधिभार	शिक्षा उपकर	धारा 89 के अधीन आयकर अनुतोष, जब वेतन इत्यादि बकाया या अग्रिम में संदत्त है	शुद्ध संदेय कर (कुल स्तंभ 347, स्तंभ 348 और 350 को घटाकर	संपूर्ण वर्ष के लिए चालू नियोजक द्वारा स्रोत पर कटवाए गए कर की कुल रकम (प्रत्येक कर्मचारी की बाबत सभी चारों तिमाही के लिए उपाबंध 1 के स्तंभ 325 में रकम का योग)	पूर्व नियोजक/नियोजकों, कटौतीकर्ता/कटौतीकर्ताओं द्वारा स्रोत पर कटवाए कर की रिपोर्ट की गई (वह रकम जिसकी बाबत स्तंभ 346 में संगणित कुल करार्थ्य आय में सम्मिलित की गई है)	संपूर्ण वर्ष के लिए स्रोत पर कटवाए कर की कुल रकम स्तंभ 352 में है	कर कटौती में कमी (+)/अधिक कर कटौती (-)[स्तंभ 351-354]	क्या कटौती किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा स्थायी लेखा संख्या न दिए जाने पर उच्चतर दर से कर कटौती की गई (हां/नहीं)
(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)

स्थान :

तारीख :

....

वेतन का संदाय करने के लिए नियोजक/उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर...

पदनाम..........................

टिप्पण :

1. वेतन, जिसके अंतर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, उपादान [धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न], फीस, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अधीन जमा की गई रकम का प्रतिसंदाय, परिलब्धि किसी वेतनमान या मजूदरी के लिए लाभ के स्थान पर या इसके अतिरिक्त, जिसके अंतर्गत नियोजन की समाप्ति पर या उसके संबंध में वेतन का अग्रिम, न ली गई छुट्टी की किसी अवधि के बाबत प्राप्त कोई संदाय भी है, [धारा 10(10कक) के अधीन छूट से भिन्न] आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के अनुसरण में कर के लिए प्रभार्य किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में लेखा का अतिशेष के लिए कोई वार्षिक अनुवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 2 के उपनियम (4) के अनुसरण में कर्मचारी द्वारा प्राप्त कोई रकम आय समझी जाएगी, धारा 80गगघ में निदिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या वेतन शीर्ष के अधीन आयकर के लिए प्रभार्य कोई अन्य रकम ।

2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त परिलब्धियों से कटौती करता है या किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी की निधि के लिए कर्मचारी के किन्हीं अभिदायों का उसकी ओर से संदाय करता है वहां ऐसी सभी कटौतियों या संदाय विवरण में शामिल किया जाना चाहिए ।

(ग) प्ररूप सं0 26थकक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप सं0 26थख

[धारा 194झक, नियम 30 और नियम 31क देखें]

धारा 194झक के अधीन कर की कटौती का चालान-सह-विवरण

वित्तीय वर्ष _ _ _ _ - _ _	मुख्य शीर्ष कोड*		लघु शीर्ष कोड*
अंतरिती/संदायकर्ता/क्रेता का स्थायी लेखा सख्यांक (पैन)			
पैन का प्रवर्ग*		पैन की प्रास्थिति*	
अंतरिती/संदायकर्ता/क्रेता का पूरा नाम*			
अंतरिती/संदायकर्ता/क्रेता का पूरा पता			
			पिन
मोबाइल नं0		ई-मेल आईडी	
क्या एक से अधिक अंतरिती/संदायकर्ता/क्रेता हैं (हां/नहीं)			
अंतरिती/संदायकर्ता/विक्रेता का स्थायी लेखा सख्यांक (पैन)			
पैन का प्रवर्ग*		पैन की प्रास्थिति*	
अंतरिती/संदायकर्ता/विक्रेता का पूरा नाम*			
अंतरिती/संदायकर्ता/विक्रेता का पूरा पता			
			पिन
मोबाइल नं0		ई-मेल आईडी	
क्या एक से अधिक अंतरिती/संदायकर्ता/विक्रेता हैं (हां/नहीं)			
अंतरित संपत्ति का पूरा पता			
			पिन
करार/बुकिंग की तारीख**		प्रतिकर का कुल मूल्य (रु0 में रकम)	किश्त में या एकमुश्क संदाय

संदत्त/जमा की गई रकम (रु0 में)	संदाय/जमा की तारीख**	वह दर जिस पर कटौती की गई	स्रोत पर कटौती किए गए कर की रकम	कटौती की तारीख**

जमा की तारीख**		संदाय का ढंग	☐ साथ-साथ ई-कर संदाय ☐ पश्चात्वर्ती तारीख को ई-कर संदाय

स्रोत पर कटौती किए गए कर के संदाय का ब्यौरा (रु0 में रकम)	
टीडीएस (आय-कर) (कटौती किए जाने वाले व्यक्ति को इस रकम के लिए क्रेडिट दिया जाएगा)	
ब्याज	
फीस	
कुल संदाय	

शब्दों में कुल संदाय (रु0)					
करोड़	लाख	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई

विशिष्ट अभिस्वीकृति संख्या (टिन द्वारा सृजित)	

* स्वतः अद्यतन किया जाए ।

** दिन/मास/वर्ष रूप विधान में ।

पाद टिप्पण-

(राजेश कुमार भूत)
निदेशक, (टीपीएल-III)

[अधिसूचना सं. 39 / 2013, एफ सं.133/23/2013-(टीपीएल)]

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र में, अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशश्थ्त किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ 1393(अ) तारीख 30/05/2013 द्वारा किया गया था ।